


राजस्थान-सरकार,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
क्रमांक : एफ6(22)प्राशनि/ई-1/सी-2/
दिनांक :- 02.09.2022

:: कार्यालय-आदेश ::

निम्नलिखित अराजपत्रित संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण/ पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थान/ कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं। संस्था/ कार्यालय प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त कर निदेशालय को अवगत करावें:-


क्र. स.	कर्मचारी का नाम सर्व श्री/श्रीमती	पदनाम	वर्तमान पद स्थापन स्थान	नवीन स्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	अनिल चतुर्वेदी	प्राविधिविज्ञ (विद्युत)	राज. पॉलि. महा., बारां	राज. पॉलि. महा., चित्तौड़गढ़	प्राविधिविज्ञ (विद्युत) के रिक्त पद पर
2	राजेश सिंह	कनिष्ठ सहायक	राज. पॉलि. महा., झुंझुनू	राज. पॉलि. महा., बागीदौरा (बांसवाड़ा)	रिक्त पद पर
3	सतीश कुमार मीना	कनिष्ठ सहायक	राज. पॉलि. महा., केलवाड़ा (बारां)	राज. पॉलि. महा., दौसा	रिक्त पद पर
4	सूरज मल मीणा	तकनीशियन वैल्टिङ्ग	राज. पॉलि. महा., डूंगरपुर	राज. पॉलि. महा., उदयपुर	रिक्त पद पर
5	अशोक कुमार मीणा	वरिष्ठ सहायक	राज. महिला पॉलि. महा., गांधीनगर, जयपुर	राज. पॉलि. महा., बारां	रिक्त पद पर प्रशासनिक कारण
6	मनोज कुमार घोबी	वरिष्ठ सहायक	राज. महिला पॉलि. महा., बीकानेर	राज. पॉलि. महा., पिलानी (कैम्प- झुंझुनू)	रिक्त पद पर प्रशासनिक कारण
7	वैभव राज	वरिष्ठ सहायक	राज. पॉलि. महा., झुंझुनू	राज. पॉलि. महा., करौली (कैम्प- अलवर)	रिक्त पद पर

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। जिन कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं, उन्हें नियमानुसार योगकाल व यात्रा भत्ता देय होगा।


निदेशक, तकनीकी शिक्षा
दिनांक :- 02.09.2022

क्रमांक : एफ6(22)प्राशनि/ई-1/सी-2/3166-3170
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ 8(32) तशि/2022 पार्ट, जयपुर दिनांक 02.09.2022 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, बारां/ चित्तौड़गढ़/ झुंझुनू/बागीदौरा /केलवाड़ा/दौसा/डूंगरपुर/ उदयपुर/ पिलानी (कैम्प- झुंझुनू)/ करौली (कैम्प- अलवर) एवं राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर/ बीकानेर संबंधित कार्मिक को बिना किसी पत्र व्यवहार किये तत्काल कार्यमुक्त करने/कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण करने की सूचना ई-मेल करते हुए डाक द्वारा तत्काल प्रेषित करावें।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान।
5. निजी पत्रावली निदेशालय/संस्थान।


निदेशक, तकनीकी शिक्षा